महत्वपूर्ण

संख्या–1313 / सैंतीस–2–2023–1(8) / 2022

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ

पशुधन अनुभाग–2 लखनऊ :: दिनांक– 12 जुलाई 2023

विषयः–'भेड़ पालकों को नस्ल सुधार हेतु उच्च प्रजाति के मेढ़े उपलब्ध कराने की योजना' (रा0यो0) की गाइडलाइंस

महोदय,

आप अवगत हैं कि भेड़ पालन प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आय का एक साधन है, जिसके माध्यम से मुख्य रूप से ऊन प्राप्त होता है। उक्त के अतिरिक्त भेड़ का दूध एवं मांस भी उपयोगी है। भेड़ के गोबर का प्रयोग प्राचीन काल से किसानों द्वारा उर्वरक के रूप में किया जाता रहा है। 20वीं पशुगणना के अनुसार देश में भेड़ों की कुल संख्या–74260615 है, जबकि प्रदेश में कुल भेड़ों की संख्या मात्र 984725 है। प्रदेश में पायी जाने वाली भेड़ों की प्रजाति उच्च कोटि की न होने से उनके वजन की वृद्धि दर कम होती है, जिसके कारण एक भेड़ से औसतन 350 ग्राम से 450 ग्राम तक ही ऊन प्राप्त होता है, जबकि अच्छी प्रजाति की भेडों से औसतन 700 ग्राम तक ऊन की प्राप्ति होती है। उक्त के अतिरिक्त भेड़ों से प्राप्त होने वाले ऊन की गुणवत्ता अच्छी न होने के कारण प्रदेश के पशुपालकों को उचित मूल्य भी प्राप्त नहीं हो पाता है।

2. प्रदेश में पायी जाने वाली भेड़ों का नस्ल सुधार कर उच्च गुणवत्तायुक्त ऊन एवं अन्य उत्पाद प्राप्त किये जाने हेतु सेन्ट्रल वूल एण्ड शीप रिसर्च इंस्टीट्यूट (CWSRI) अविकानगर, राजस्थान के तकनीकी विशेषज्ञों, उत्तराखण्ड राज्य के विषय विशेषज्ञों एवं अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ शासन स्तर पर एवं निदेशालय स्तर पर गहन विचार–विमर्श किया गया। खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा ऊन धागा उत्पादन एवं प्रसोधन केन्द्र, गांजा, प्रयागराज में स्थापित किया जा रहा है, जिस हेतु गुणवत्तायुक्त ऊन की आवश्यकता होगी। विचारोपरान्त प्रदेश में उच्च गुणवत्तायुक्त ऊन की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के दृष्टिगत भेड़ की नस्ल सुधार हेतु एक नयी योजना प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसकी गाइडलाइंस अनुवर्ती प्रस्तरों में वर्णित हैं।

1–योजना का उद्देश्यः–

1. भेड़ों का नस्ल सुधार कर गुणवत्तायुक्त ऊन उत्पादित करना
2. प्रदेश के भेड़ पालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना एवं रोजगार उपलब्ध कराना
3. भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र में पाली जा रही भेड़ों को इनब्रीडिंग से बचाना तथा उनके जेनेटिक पूल को सुदृढ़ करना

2–योजना का स्वरूपः–

1. योजनान्तर्गत प्रदेश के 10 भेड़ बाहुल्य जनपदों **प्रयागराज, वाराणसी, चन्दौली, मिर्जापुर, भदोही ,सोनभद्र, कौशाम्बी ,चित्रकूट, बांदा एवं बरेली** में

210 मेढ़े (अनुलग्नक–1) तथा बृहद भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, भैसौड़ा नौगढ़ चन्दौली को 40 मेढ़े प्रजनन हेतु आपूर्ति किये जायेगें।

2. योजनान्तर्गत उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड,देहरादून से **रैम्बुले एवं मेरीनो कास नस्ल के** 250 मेढ़ों का क्रय किया जायेगा।
3. क्रय किये जाने वाले मेढ़ों का वजन 25 से 30 कि0ग्रा0 एवं आयु 09 माह से 15 माह तक होगी।
4. मेढ़ों का चयन विभागीय चयन समिति के माध्यम से होगा जो मेढ़ों का चयन उनकी नस्ल एवं स्वास्थ्य के आधार पर करेगी। (अनुलग्नक–2)
5. उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड, देहरादून द्वारा उत्तराखण्ड के पशुलोक प्रक्षेत्र ऋषिकेश जनपद देहरादून पर चयनित मेढ़े उपलब्ध कराये जायेगें।
6. ऋषिकेश में क्वारेन्टाइन अवधि पूर्ण होने के पश्चात् लक्ष्यानुसार जनपदवार प्रक्षेत्रों के वाहनों से मेढ़ों का परिवहन ट्रांजिट बीमा कराने के बाद संबंधित विभागीय क्वारेन्टाइन केन्द्र तक किया जायेगा।
7. परिवहन की अवधि में मेढ़ों के खानपान व विश्राम इत्यादि की समुचित व्यवस्था चयन समिति द्वारा की जायेगी।
8. जनपदों हेतु निर्धारित प्रक्षेत्र पर पहुॅचने पर मेढ़ों को पुनः क्वारेन्टाइन अवधि तक रोका जायेगा, जहॉ इनके रख–रखाव का उत्तरदायित्व प्रक्षेत्र अधीक्षक का होगा।
9. प्रदेश में क्वारेन्टाइन अवधि पूर्ण होने के उपरान्त लाभार्थियों में वितरण संबंधित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी की देख–रेख में किया जायेगा।
10. वितरण किये गये समस्त मेढ़ों का न्यूनतम तीन वर्ष का बीमा कराया जाना अनिवार्य होगा।
11. विशेष परिस्थितियोंवश यदि उत्तराखण्ड भेड एव ऊन विकास बोर्ड मेढे आंशिक या पूर्ण रूप से आपूर्ति करने में सक्षम नहीं होता है, तो आवश्यक संख्या में मेढे अन्य राज्यों/ संस्थानों/ संस्थाओं से क्रय किये जाने का विकल्प उपलब्ध होगा, जिसके अनुरूप मेढों की संख्या, क्रय मूल्य व परिवहन आदि पर होने वाले व्यय को उपलब्ध बजट की सीमा तक संशोधित किया जा सकेगा।

3–लाभार्थी चयन

1. उत्तर प्रदेश के सम्बन्धित जनपद का स्थायी निवासी योजना का पात्र होगा।
2. लाभार्थी की आयु 18 वर्ष अथवा उससे अधिक हो।
3. चयनित जनपद के समस्त विकास खण्डों में कार्यरत पशुचिकित्साधिकारी/ मुख्य तकनीकी अधिकारी (भेड़ एवं ऊन) द्वारा क्षेत्रीय भेड़ पालक जिनके पास न्यूनतम 20 मादा भेड़ें उपलब्ध हो का डाटा संलग्न प्रारूप पर (अनुलग्नक–3) तैयार कर जनपद के मुख्य तकनीकी अधिकारी (भेड़ एवं ऊन)/मुख्य पशुचिकित्साधिकारी को प्रस्तुत करेगें। मुख्य तकनीकी अधिकारी (भेड़ एवं ऊन) (अपने अधीन जनपदों का)/मुख्य पशुचिकित्साधिकारी द्वारा प्राप्त डाटा संकलित कर निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष भेड़ पालकों का चयन कर संयुक्त निदेशक,सघन भेड़ एवं ऊन विकास, प्रायोजना मिर्जापुर को प्रस्तुत करेगें।

4–योजना का वित्तीय स्वरूप :–

(क) उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड से 250 मेढ़ों के क्रय पर व्यय होने वाली धनराशि रू0–23.75 लाख का भुगतान उत्तराखण्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण

के अनुसार संयुक्त निदेशक,सघन भेड़ एवं ऊन विकास, प्रायोजना मिर्जापुर द्वारा प्रस्तुत किये गये बिल के अनुसार मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, मिर्जापुर (आहरण वितरण अधिकारी) द्वारा योजनान्तर्गत विभिन्न मानक मदों में प्राप्त होने वाली धनराशि में से निम्न प्रकार किया जायेगाः–

(धनराशि लाख में)

1	15–गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	रू0–1.25 लाख
2	39–औषधि तथा रसायन	रू0–0.25
3	42– अन्य व्यय	रू0–3.00
4	43– सामग्री एवं सम्पूर्ति	रू0–19.25
	कुल धनराशि	**रू0–23.75**

(ख) उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड से 250 मेढ़ों के क्रय के उपरान्त परिवहन पर एवं लाभार्थी के द्वार पर मेढ़े वितरण पर व्यय होने वाली धनराशि का भुगतान संयुक्त निदेशक,सघन भेड़ एवं ऊन विकास, प्रायोजना मिर्जापुर द्वारा प्रस्तुत किये गये बिल के अनुसार मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, मिर्जापुर (आहरण वितरण अधिकारी) द्वारा योजनान्तर्गत विभिन्न मानक मदों में प्राप्त होने वाली धनराशि में से किया जायेगाः–

(धनराशि लाख में)

1	04–यात्रा व्यय	रू0–2.40 (कर्मचारियों/अधिकारियों के यात्रा पर व्यय)
2	15–गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	रू0–2.00 (मेढ़ों के परिवहन पर व्यय)
3	39–औषधि तथा रसायन	रू0–1.25 (मेढ़ों की चिकित्सा आदि पर व्यय)
4	42– अन्य व्यय	रू0–1.91 (मेढ़ों का बीमा आदि पर व्यय)
5	43–सामग्री एवं सम्पूर्ति	रू0–0.60 (क्रय किये गये मेढों के राशन पर व्यय)
	कुल धनराशि	**रू0–8.16**

5– योजना का कियान्वयन एवं अनुश्रवण :–

1– योजनान्तर्गत मेढ़ा क्रय एवं परिवहन तथा लाभार्थी को मेढ़े वितरण से संबंधित समस्त कार्यवाही पशुपालन निदेशक के पर्यवेक्षण में संयुक्त निदेशक, सघन भेड़ एवं ऊन विकास प्रायोजना, मिर्जापुर द्वारा की जायेगी।

2– योजनान्तर्गत उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड से पशुपालन निदेशक द्वारा MOU सम्पादित किया जायेगा एवं तदनंतर 250 मेढ़ों के क्रय एवं परिवहन पर व्यय होने वाली समस्त धनराशि का आहरण (संयुक्त निदेशक, सघन भेड़ एवं ऊन विकास प्रायोजना, मिर्जापुर द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार) मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, मिर्जापुर द्वारा किया जायेगा।

3– उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड से 250 मेढ़ों के क्रय उपरान्त परिवहन एवं लाभार्थी को वितरण हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित करने का उत्तरदायित्व पशुपालन निदेशक एवं संयुक्त निदेशक, सघन भेड़ एवं ऊन विकास प्रायोजना, मिर्जापुर का होगा।

4– उत्तराखण्ड से मेढे परिवहन करने से पूर्व क्रय किये गये मेढ़ों का बीमा कराया जाना आवश्यक होगा।

5– उत्तराखण्ड से परिवहन किये गये मेढ़ों को क्वारेन्टाइन करने तथा क्वारेन्टाइन समय पूर्ण होने के उपरान्त ही भेड़ पालकों को वितरित किया जायेगा।

6– क्वारेन्टाइन के उपरान्त भेड़ पालकों को मेढ़ा वितरण करने के उपरान्त 40 नर मेढ़े बृहद भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, भैसौड़ा नौगढ़ चन्दौली को उपलब्ध कराये जायेगे।

7— चयनित जनपद के निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप चयन किये गये लाभाथियों की प्राप्त सूची के अनुसार भेड़ पालकों को निःशुल्क मेढ़ा उनके द्वार पर उपलब्ध कराने से पूर्व रू0—10 के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

8— उत्तराखण्ड से मेढ़े क्रय करने हेतु मेढ़ों के चयन करने एवं परिवहन हेतु लगाये जाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा यात्रा भत्ता हेतु प्रस्तुत दावा का नियमानुसार परीक्षण संयुक्त निदेशक, सघन भेड़ एवं ऊन विकास प्रायोजना, मिर्जापुर द्वारा करने के उपरान्त अनुमन्य यात्रा भत्ता के अनुसार ही भुगतान हेतु मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, मिर्जापुर को प्रस्तुत किया जायेगा।

9— लाभार्थियों को मेढ़े उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त मेढ़ों के स्वास्थ्य का नियमित परीक्षण एवं योजना के कियान्वयन एवं अनुश्रवण का दायित्व सम्बन्धित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी का भी होगा।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार योजना का कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by डा0 रजनीश दुबे
Date: 12-07-2023 13:49:21
Reason: Approved

(डा0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

पृ0सं0—1313(1)/सैंतीस—2—2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त/नियोजन/कृषि विभाग।
5. निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, डालीबाग, लखनऊ
8. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड—2, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
उप सचिव।

अनुलग्नक–1

योजनान्तर्गत चयनित जनपद/प्रस्तावित लक्ष्य

क0सं0	जनपद का नाम	प्रस्तावित लक्ष्य
1	2	3
1	प्रयागराज	26
2	वाराणसी	26
3	चन्दौली	26
4	मिर्जापुर	26
5	भदोही	26
6	सोनभद्र	25
7	कौशाम्बी	25
8	चित्रकूट	10
9	बांदा	10
10	बरेली	10
11	वृहद भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, भैसौड़ा नौगढ़ चन्दौली	40
योग		250

अनुलग्नक–2

उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड, देहरादून से मेढ़े क्रय करने हेतु मेढ़ों के लिये चयन समिति।

1.	प्रायोजना अधिकारी/संयुक्त निदेशक, सघन भेड़ एवं ऊन विकास, प्रायोजना मिर्जापुर	अध्यक्ष
2.	मुख्य तकनीकी अधिकारी (भेड़ एवं ऊन)	सदस्य सचिव
3.	पशुचिकित्साधिकारी (भेड़)/उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	सदस्य

I/347993/2023

अनुलग्नक–3

प्रारूप

जनपद का नामः

क्र0 सं0	भेड़ पालक का नाम	पिता / पति का नाम	जाति / वर्ग	ग्राम / वि0ख0	मो0नं0	आधार सं0	भेड़ पालक के पास उपलब्ध भेड़ो की संख्या		कुल
							नर	मादा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10